न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
धरमाराम उर्फ धनाराम पुत्र पालारामजी जाति मेघवाल निवासी कैलाशनगर तह0 सिरोही		1.ओटाराम पुत्र हजीयाजी जाति भील निवासी कैलाशनगर तह0 शिवगंज 2.तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल		विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

रा0प्रा0 पत्र स0 22/2022

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 20.09.2023

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजरथान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा कैलाशनगर–1 तहसील शिवगंज के खसरा नं0 1170 रकबा 1.3436 हैक्टयर किस्म बारानी–2 प्रार्थी व उसके भाई के संयुक्त कब्जे खातेदारी की भूमि आई हुई स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी के खेत के पडौस में अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नं0 1165/3 रकबा 1.5621 हेक्टयर किस्म बारानी 2 व खसरा नं0 1165/4 आई हुई स्थित एवं अप्रार्थी संख्यां 1 के पडौस में खसरा नं0 1168 तरमीमशुदा राजकीय रास्ता मौजूद है। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 व अडौस पडौस के खातेदारान आवागमन करते है परन्तु प्रार्थी के लिये मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे खातेदारी में से खसरा नं0 1165/4 रकबा 0–07 बीघा अर्थात 0.0567 हेक्टयर व प्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी में से खसरा नं0 1170/1 रकबा 0–07 बीघा अर्थात 0.0567 हेक्टयर नामांतरकरण सं0 4461 दिनांक 02.08.2019 निर्णय डिक्री उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के जरिये गै0मु0रास्ता दर्ज किया गया है फिर भी अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त आदेश के पश्चात बिना किसी आवासीय रूपांतरण के बगैर अपनी भूमि में अवैध निर्माण कर अवरोध पैदा किया है जबकि प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नं0 1170 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी सं0 1 की भूमि में से खसरा नं0 1168 तक आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी धनाराम ने पूर्व में धारा 251 'ए' का प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के न्यायालय में पेश किया था जो प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा इस आदेश के साथ खारिज किया था कि पूर्व में प्रदत्त रास्ता खसरा नं0 1165/2 अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं रहता है जो प्रार्थी भविष्य में उक्त प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा दिनांक 20.06.2019 को अजयराम बनाम ओटाराम व अन्य प्रकरण सं0 67/2018 में अजयराज के पक्ष में रास्ता देने के आदेश दिये गये थे जो प्रार्थीगण की भूमि में से अप्रार्थी सं0 1 की भूमि में से ही आता था जिससे प्रार्थी को रास्ता मिल चुका था मगर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज के न्यायालय द्वारा इसी आदेश को दिनांक 04.09.2020 को निरस्त करते हुए उक्त प्रकरण सं0 67/2018 में दिये गये रास्ते को निरस्त करने से प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से पूर्व में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 16/2020 दिनांक 07.01.2021 में दिये गये आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पुनः पेश किया जाकर रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 649 दिनाक 29.07.2023 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। तहसीलदार शिवगंज द्वारा उनके पत्र कमांक 3602 दिनांक 02.12.2022 के द्वारा खसरा नं0 1169 में से रास्ता दिये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की, कि हमने खसरा नं0 1165/4 व 1... से रास्ता दिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर उभय वकील पक्षकारान ... गई। बहस के पश्चात हमने प्रार्थी अधिवक्ता की आपत्ति को उचित मानते हुए ... तहसीलदार शिवगंज से पुनः रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ... दिनांक 10.08.2023 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार मौजा कैलाशनगर–1 के खसरा नं0 1165/4 व 1165/3 में से रास्ता दिया जाने हेतु उचित बताया है एवं अवगत कराया कि खसरा नं0 1165/4 वर्तमान में किस्म रास्ता दर्ज है परन्तु उक्त रास्ता अवरूद्ध है तथा खातेदार ओटाराम द्वारा मकान बनाया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 22/2022
धरमाराम उर्फ धनाराम बनाम ओटाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

दिनांक 06.09.2023 को उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में दिये जाने वाला प्रस्तावित रास्ता 04 मीटर चौडा दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में रास्ता 20 फीट चौडा चाहा गया है व नियमों के तहत भी 20 फीट का चौडा रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। हमनें पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत रास्ते का प्रस्ताव व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है इसलिये प्रार्थी को 4 मीटर की जगह 6 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित है। अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कैलाशनगर के खसरा नं0 1170 रकबा 1.3436 हेक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा कैलाशनगर–1 तहसील शिवगंज के खसरा नं0 1165/3 रकबा 1.6188 हैक्टयर में से रास्ता 06 मीटर चौडा एवं 146 मीटर लंबा, जिसका कुल क्षैत्रफल 876 वर्गमीटर होता है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 202334/–रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 17724/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 35,448/–(पैंतीस हजार चार सौ अडतालीस) रूपये बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कैलाशनगर–1 तहसील शिवगंज के खसरा नं0 1170 रकबा 1.3436 हैक्टयर किस्म बा–2 में पंहुचने हेतु मौजा कैलाशनगर–1 के खसरा नं0 1165/3 रकबा 1.6188 हैक्टयर में से रकबा 0.0876 हेक्टेयर रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर चौडा एवं 146 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 876 वर्गमीटर अर्थात 0.0876 हेक्टयर भूमि की राशि 17724/–रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 35448/– (पैंतीस हजार चार सौ अडतालीस) रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी श्री ओटाराम भील खातेदार को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
दिनांक 20.09.2023

कमांक/कोर्ट/2023/ 672
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

प्र० क्र. 22/2022
धर्मराज V/s ओटाराम वगैरा
धारा 251 'ए' RTA

एनेक्चर - I st

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 21/09/2023 10:55:32 AM

जिला : सिरोही

तहसील : शिवगंज

भू. अ. नि. क्षेत्र : कैलाशनगर

पटवारी हल्का : कैलाशनगर-1

ग्राम : कैलाशनगर-1

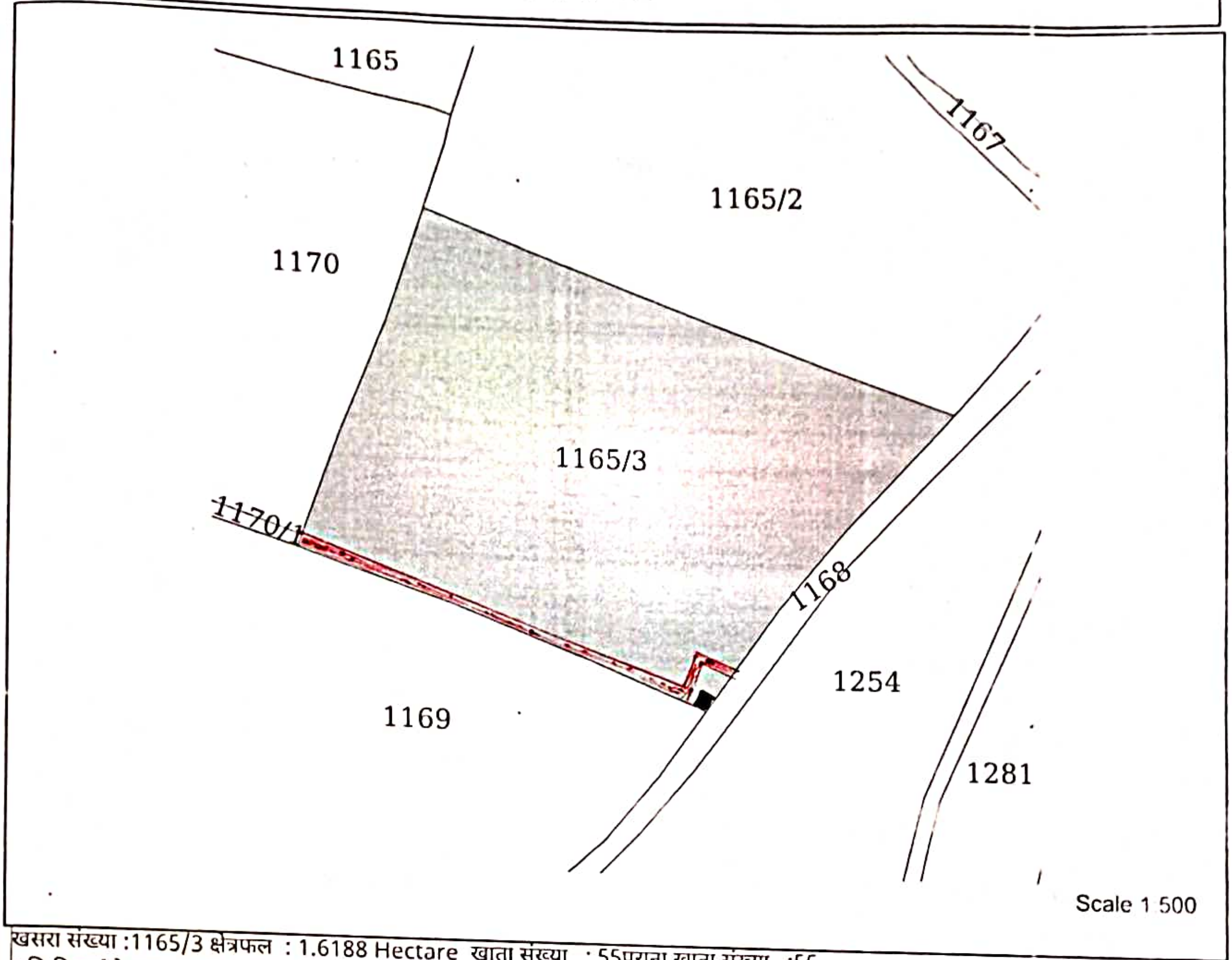

खसरा संख्या :1165/3 क्षेत्रफल : 1.6188 Hectare खाता संख्या : 55पुराना खाता संख्या :55

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 2 [1.6188, 2.51]

1.) ओटाराम पुत्र हजीया हिस्सा- पूर्ण जाति- भील सा. देह खातेदार

संकेत ◘ प्रस्तावित रास्ता
■ निर्मित मकान

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजकीय कार्यालय ... प्रस्तुत जारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी
PLR कैलाशनगर
21/09/23

C/S
तहसीलदार शिवगंज
21-09-2023

C.S.
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)